चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 21.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 05 आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

1.अम्बुज पाण्डेय पुत्र मूलचन्द्र पाण्डेय निवासी पिपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

2.सूर्या उर्फ कुलदीप पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय निवासी पिपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

3.आयुष पाण्डेय पुत्र अखिलेश पाण्डेय निवासी पिपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

4.निखिल उर्फ गौरव तिवारी पुत्र सुग्रीव प्रसाद निवासी पिपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

5.राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र मूलचन्द्र निवासी पिपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

गिरफ्तारी स्थान,दिनाँक,समय-

अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट समय 11.30 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.04.2025 को वादी श्री डॉ सुशील कुमार त्रिपाठी पुत्र शिवाकर राम त्रिपाठी निवासी जे0आर0डी0एस0यू0 कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि मैं अपने चार पहिया वाहन यू0पी0 96 एन0 1612 से सीतापुर की तरफ जा रहा था कि मंदाकिनी पुल के बाद स्पीड ब्रेकर पर पीछे से 02 बाइक पर पांच लोग 1.अम्बुज पाण्डेय पुत्र मूलचन्द्र पाण्डेय 2.सूर्या उर्फ कुलदीप पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय 3.आयुष पाण्डेय पुत्र अखिलेश पाण्डेय 4.निखिल उर्फ गौरव तिवारी पुत्र सुग्रीव प्रसाद 5.राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र मूलचन्द्र निवासीगण पिपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट तेज हति से मेरी गाड़ी को क्रास किये जिससे वादी की गाड़ी में टच हो जाने पर 25-30 अज्ञात लोगो को बुलाकर जमीन पर गिराकर लात घूंसो से जान से मारने की नियत से मारना शुरू कर देना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 241/025 धारा 191(2),191(3),109,115(2),131 बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री रमेश सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही को सुपुर्द की गयी थी तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज दिनाँक 21.04.025 को उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर नामजद 05 आरोपी अभियुक्तों को स्कार्पियों नं0 यू0पी0 96 क्यू0 7216 के साथ अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया। वाहन उपरोक्त को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। मुकदमें में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रमेश सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही

2.आरक्षी अभिषेक सिंह

3.आरक्षी अनुज यादव

4.आरक्षी नागेश

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 21.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 414/2018 धारा 363,366,376, आईपीसी व 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त पुष्पेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 राकेश पटेल निवासी विनायकपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 22.06.2018 को एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 राकेश पटेल निवासी विनायकपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करना । दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना कोत0 कर्वी में मु0अ0सं0 414/2018 धारा 363,366,376(2)(i) भादवि0, 06 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री बृजेन्द्र द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 01.07.2018 को आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 19.08.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). आज दिनाँक 21.04.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध,उ0प्र0,अपर निदेशक(विधि),अभियोजन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा सभागार में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,क्षेत्राधिकारी लाइन/यातायात श्री फहद अली की उपस्थिति में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जाने वाली जमानत प्रार्थना आख्या/प्रस्तरवार आख्या 19 बिन्दु के प्रारुप पर पूर्ण सूचना एवं अभिलेख प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में जनपद के समस्त विवेचकगणों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण में प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी निरीक्षक जनसूचना सेल श्री जयप्रकाश उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया सेल श्री निशिकान्त राय,प्रभारी रिट सेल श्री वीर प्रताप सिंह,प्रभारी निरीक्षक मॉनिटिरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ला,जनपद के अन्य विवेचक व एफआईआर लेखक उपस्थित रहें।